अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 47/2012

हरेन्द्र सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सदर,छपरा)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 529, दिनांक 22.05.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि आयुक्त सारण प्रमंडल,छपरा के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा बी0पी0एल0 योजना के वर्ष 1997 से 2002 तक उठाव एवं वितरण की जाँच के क्रम में नगरा प्रखंड के डुमरी पंचायत के विक्रेताओं की जाँच की गई थी, एवं बिहार राज्य खाद्य निगम से प्राप्त भंडार निर्गमादेश की भी जाँच की गई। जाँचोपरांत उनके पत्रांक 335 सी0 दिनांक 25.04.2006 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में हरेन्द्र सिंह ज0वि0प्र0वि, पंचायत–नगरा प्रखंड – नगरा, की दूकान में निम्नलिखित अनियमितता पाई गई– माह जनवरी 1998 से नवम्बर 1999 तक सभी माहों के खाद्यान्न का उठाव विक्रेता के द्वारा किया गया है लेकिन केवल एक या दो बार इनका वितरण उपभोक्ताओं के बीच किया गया है। उक्त अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 666,दिनांक 10.09.2009 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति	

को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि इस अपील वाद से जुड़ी कई बाते अपने आप में अजीबोगरीब है। जाँच कीं अवधि 1997 से 2002 के बीच है। 2006 में जाँच पदाधिकारी(अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा) के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। वर्ष 2009 में विक्रेता से तीन वर्षो के बाद कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा कारण पृच्छा के समर्पित किए जाने के तीन वर्षो के बाद अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता के जवाब पर निर्णय लेते हुए उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई। जाँच पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच के क्रम में 2002 में लागू विभागीय निदेश के आलोक में राशन कार्ड की स्थिति पर विचार न करके केवल दो चार उपभोक्ताओं से पूछकर अपना प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया गया है। संयोग से उनमें से कुछ उपभोक्ता विक्रेता से बैर भाव रखने वाले थे। चूकि यह मामला 12 साल पुराना है अतः उस समय का कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत कर पाना संभव नही हो पा रहा है। यदि विक्रेता के द्वारा सही में कोई अनियमितता की गई होती, तो उसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुआ रहता लेकिन प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर विक्रेता के विरूद्ध ऐसी कोई भी शिकायत नही की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 222 दिनांक 13.01.2011) में कई कमियां नजर आ रही है। जांच पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा) के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन वर्षो के बाद कारण पृच्छा किया जाना एवं कारण पृच्छा का जवाब प्राप्त होने के तीन वर्षो के बाद विक्रेता की अनुज्ञप्ति के संबंध में निर्णय लिया जाना अपने आप में कई गंभीर प्रश्न उत्पन्न करता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी को निदेश है कि भविष्य में ऐसे आचरण की पुनरावृर्ति न की जाए। अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए

अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 302 /न्या0, दिनांक 08/05/2015

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।